फैक्स/स्पीड पोस्ट

पत्र सं0–सी/जी0बी0–5717/2012...................

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्यप्रमंडल–2 बेनीपुर (दरभंगा)/कार्य प्रमण्डल–1 औरंगाबाद/कार्य प्रमण्डल–1 पटना/ कार्यप्रमण्डल–2 शेरघाटी(गया)/कार्यप्रमण्डल–1 गया/कार्य प्रमण्डल–2 झंझारपुर(मधुबनी)/ कार्यप्रमण्डल–2 जगदीशपुर(भोजपुर)/कार्यप्रमण्डल–1 किशनगंज/कार्य प्रमण्डल–1 शिवहर/ कार्य प्रमण्डल–1 समस्तीपुर/कार्यप्रमण्डल–2 रोसड़ा(समस्तीपुर)/कार्य प्रमण्डल–2 दानापुर (पटना)/कार्यप्रमण्डल–1 (मधुबनी)/कार्यप्रमण्डल–1 मधेपुरा/कार्यप्रमण्डल–1 जमुई/ कार्यप्रमण्डल–2 सिवान /कार्य प्रमण्डल–2 बगहा(बेतिया)/कार्य प्रमण्डल–1 दरभंगा/ कार्य प्रमण्डल–1 सुपौल एवं कार्य प्रमण्डल–2 बारसोई (कटिहार)।

पटना, दिनांक ....

विषयः– राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना को क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए जिला एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वर्ष 2015–16 में गृह (विशेष) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0 2684, दिनांक 16.03.2016 के आलोक में कुल ₹2000.00 लाख (बीस करोड़ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 2684, दिनांक 16.03.2016 के आलोक में वर्ष 2015–16 में निम्नांकित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को उनके सम्मुख कॉलम–4 में अंकित राशि का आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्व में आवंटित राशि (रू0 लाख में)	वर्तमान आवंटित राशि (रू0 लाख में)	कुल आवंटित राशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	कार्यप्रमंडल-2 बेनीपुर (दरभंगा)	50.00	160.00	210.00
2	कार्य प्रमण्डल-1, औरंगाबाद	50.00	100.00	150.00
3	कार्य प्रमण्डल-1, पटना	80.00	80.00	160.00
4	कार्य प्रमण्डल-2, शेरघाटी, (गया)	50.00	100.00	150.00
5	कार्य प्रमण्डल-1, गया	87.00	100.00	187.00
6	कार्य प्रमण्डल-2, झंझारपुर (मधुबनी)	200.00	100.00	300.00
7	कार्य प्रमण्डल-2 जगदीशपुर (भोजपुर)	100.00	62.00	162.00
8	कार्य प्रमण्डल-1, किशनगंज	100.00	123.00	223.00
9	कार्य प्रमण्डल-1 शिवहर	30.00	100.00	130.00
10	कार्य प्रमण्डल-1 समस्तीपुर	120.00	169.37	289.37
11	कार्य प्रमण्डल-2, रोसड़ा (समस्तीपुर)	50.00	100.00	150.00
12	कार्य प्रमण्डल-2, दानापुर (पटना)	85.00	45.00	130.00
13	कार्य प्रमण्डल-1, मधुबनी	70.00	100.00	170.00
14	कार्य प्रमण्डल- 1, मधेपुरा	100.00	100.00	200.00
15	कार्य प्रमण्डल-1, जमूई	100.00	150.00	250.00
16	कार्य प्रमण्डल-2, सिवान	50.00	73.00	123.00
17	कार्य प्रमण्डल-2, बगहा (प0 चम्पारण)	50.00	70.00	120.00
18	कार्य प्रमण्डल-1, दरभंगा	150.00	150.00	300.00
19	कार्य प्रमण्डल-1, सुपौल	50.00	67.63	117.63
20	कार्य प्रमण्डल-2, बारसोई (कटिहार)	50.00	50.00	100.00
	कुल	1622.00	2000.00	3622.00

कुल आवंटन (बीस करोड़ रू0)

2. यह राशि कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु ली गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित की जाती हैं।

3.योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

4. यह राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60 अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0101 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं0-22, प्राथमिक ईकाई संख्या-53-01 मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम-**HOM-5425** एवं विपत्र कोड संख्या-पी0-4235600510101 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

5. यह राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 तृतीय अनुपूरक आगणन माध्यम से प्राप्त बजटीय उपबंध के अन्तर्गत आवंटित की जाती है। इस राशि के निकासी एवं व्यय हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं0-354, दिनांक 15.03.2016 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

9. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं0-2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।

10. 1 अप्रैल, 2016 को संबंधित जिला पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ प्रतिवेदन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के पत्रांक-448, दिनांक 26.03.2003 के अनुसार इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. आवंटित राशि को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडलों द्वारा पूर्व से ली गयी योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु व्यय किया जाएगा एवं कोई नई योजना नहीं ली जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- .... **पटना,दिनांक** - ....
प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

निबंधित फैक्स

ज्ञापांकः- .... **पटना,दिनांक** - ....
प्रतिलिपिः- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- .... **पटना,दिनांक** - ....
प्रतिलिपिः- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- ....

पटना,दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- 2689.

पटना,दिनांक - 16/03/16.

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 16.03.16
सरकार के विशेष सचिव।